क्रम-संख्या-- 331 (ख)

487

रजिस्टर्ड नं० ए० डी०-4

# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग 1--खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शनिवार, 11 दिसम्बर, 1976

अग्रहायण 20, 1898 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका अनुभाग-1

संख्या 5246/सत्रह-वि0--1-136-76

लखनऊ, 11 दिसम्बर, 1976

## अधिसूचना

विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान (संशोधन) विधेयक, 1976 पर दिनांक 10 दिसम्बर, 1976 ई0 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 54, 1976 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

## उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान (संशोधन) अधिनियम, 1976

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 54 1976)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

दुकानों और वाणिज्य अधिष्ठानों के रजिस्ट्रीकरण की तथा सम्बन्धित विषयों की व्यवस्था करने की दृष्टि से उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, 1962 का संशोधन करन क लिए

## अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्ताइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:--

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान (संशोधन) अधिनियम, 1976 कहा जायगा। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह दिनांक 16 अक्तूबर, 1976 से प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26, 1962 की धारा 2 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, 1962 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में,—

(1) खण्ड (1) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात् :—

"(1—क) 'मुख्य निरीक्षक' का तात्पर्य धारा 29 के अधीन नियुक्त मुख्य निरीक्षक से है और इसमें उक्त धारा के अधीन नियुक्त उप-मुख्य निरीक्षक या निरीक्षक भी सम्मिलित है ;"

(2) खण्ड (13) के पश्चात् निम्नलिखित खंड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्:—

"(13—क) किसी दुकान या वाणिज्य अधिष्ठान के सम्बन्ध में 'स्वामी' के अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति भी है जो ऐसी दुकान या वाणिज्य अधिष्ठान चलाता हो या उसका प्रभारी हो;"

नये अध्याय 1-क का बढ़ाया जाना

3—मूल अधिनियम के अध्याय 1 के पश्चात् निम्नलिखित अध्याय बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्:—

"अध्याय 1-क

दुकानों और वाणिज्य अधिष्ठानों का रजिस्ट्रीकरण

दुकानों और वाणिज्य अधिष्ठानों का रजिस्टर

4—क—मुख्य निरीक्षक उन समस्त दुकानों और वाणिज्य अधिष्ठानों का, जिन पर यह अधिनियम लागू होता है, एक रजिस्टर ऐसे प्रपत्र में रखेगा और जिसमें ऐसा विवरण दिया जायगा जैसा नियत किया जाय :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे रजिस्टर विभिन्न क्षेत्रों और विभिन्न वर्ग की दुकानों और वाणिज्य अधिष्ठानों के लिए भिन्न-भिन्न रखे जा सकते हैं ।

रजिस्ट्रीकरण

4—ख—(1) प्रत्येक दुकान या वाणिज्य अधिष्ठान का स्वामी ऐसे कारोबार के प्रारम्भ होने के तीन मास के भीतर या उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान (संशोधन) अधिनियम, 1976 के प्रारम्भ होने से तीन मास के भीतर, जो भी पश्चात्वर्ती हो, अपनी दुकान या वाणिज्य अधिष्ठान के रजिस्ट्रीकरण के लिए मुख्य निरीक्षक को आवेदन-पत्र देगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन-पत्र ऐसे प्रपत्र में होगा और उसके साथ ऐसी फीस होगी, जैसी नियत की जाय ।

(3) मुख्य निरीक्षक अपना यह समाधान होने पर कि नियत फीस जमा कर दी गयी है, धारा 4-क के अधीन रखे गये रजिस्टर में दुकान या वाणिज्य अधिष्ठान को दर्ज करेगा और स्वामी को ऐसे प्रपत्र में और ऐसी रीति से, जैसी नियत की जाय, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र देगा ।

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र की अवधि और उसका नवीकरण

4—ग—धारा 4-ख के अधीन दिया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र ऐसी अवधि के लिए, जैसी नियत की जाय, विधिमान्य होगा और इस निमित्त आवेदन-पत्र और नियत फीस देने पर, मुख्य निरीक्षक द्वारा उसका समय-समय पर ऐसी अग्रेतर अवधि के लिए, जैसी नियत की जाय, नवीनीकरण किया जा सकेगा ।

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र की दूसरी प्रति

4—घ—जब कोई रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र खो जाय, नष्ट हो जाय, फट जाय या विरूपित हो जाय या अन्यथा अपठनीय हो जाय तो मुख्य निरीक्षक नियत रीति से और नियत फीस देने पर रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र की दूसरी प्रति देगा ।"

धारा 40 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 40 में—

(1) उपधारा (1) में, शब्द 'नियम बना सकती है' के स्थान पर शब्द 'अधिसूचना द्वारा नियम बना सकती है' रख दिये जायेंगे ;

(2) उपधारा (2) में, खण्ड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिये जायेंगे; अर्थात्:—

"(ख—1) अध्याय 1-क के अधीन दुकानों और वाणिज्य अधिष्ठानों के रजिस्टर का प्रपत्र;

(ख—2) अध्याय 1-क के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र के नवीकरण के लिए और रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र की दूसरी प्रति जारी करने के लिए फीस;

(ख—3) अध्याय 1-क के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र का प्रपत्र;"

(3) उपधारा (4), निकाल दी जायगी ।

निरसन और व्यावृत्ति

5—(1) उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान (संशोधन) अध्यादेश, 1976 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है । उत्तर प्रदेश अध्यादेश सं० 24, 1976

(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी, उक्त अध्यादेश द्वारा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा संशोधित मूल अधिनियम के तत्सम उपबन्धों के अधीन किया गया कार्य या की गई कार्यवाही समझी जायगी ।

No. 5246(2)/XVII-V-I—136-76

*Dated Lucknow, December 11, 1976*

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Dookan Aur Vanijaya Adhisthan (Sanshodhan) Adhiniyam, 1976 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 54 of 1976), as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the President on December 10, 1976:

# THE UTTAR PRADESH DOOKAN AUR VANIJYA ADHISTHAN (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 1976

[U. P. Act No. 54 of 1976]

*(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)*

AN

ACT

*to amend the Uttar Pradesh Dookan Aur Vanijya Adhisthan Adhiniyam, 1962 with a view to providing for registration of shops and commercial establishments and for matters connected therewith.*

It is hereby enacted in the Twenty-seventh Year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Dookan Aur Vanijya Adhisthan (Sanshodhan) Adhiniyam, 1976.

(2) It shall be deemed to have came into force on October 15, 1976.

Amendment of section 2 of Act no. XXV of 1962.

2. In section 2 of the Uttar Pradesh Dookan Aur Vanijya Adhisthan Adhiniyam, 1962, hereinafter referred to as the principal Act—

(i) *after* clause (1) the following clause shall be *inserted,* namely :—

"(1-A) 'Chief Inspector' means the Chief Inspector appointed under section 29, and includes a Deputy Chief Inspector or Inspector appointed under that section ; "

(ii) *after* clause (13) the following clause shall be *inserted,* namely :—

"(13-A) 'Owner', in relation to a shop or commercial establishment, includes a person who runs or is incharge of such shop or commercial establishment ; "

Insertion of new Chapter I-A.

3. *After* Chapter 1 of the principal Act, the following Chapter shall be *inserted,* namely :—

"CHAPTER I-A

**Registration of Shops and Commercial Establishments**

Register of shops and commercial establishments.

4-A. The Chief Inspector shall maintain in such form and containing such particulars as may be prescribed, a register of all shops and commercial establishments, to which this Act applies :

Provided that different such registers may be maintained for different areas and for different classes of shops and commercial establishments.

Registration.

4-B. (1) Every owner of a shop or commercial establishment shall within three months of the commencement of such business or within three months of the commencement of the Uttar Pradesh Dookan Aur Vanijya Adhishthan (Sanshodhan) Adhiniyam, 1976, whichever is later, apply to the Chief Inspector for registration of his shop or commercial establishment.

(2) Every application for registration under sub-section (1) shall be in such form and shall be accompanied by such fees as may be prescribed.

(3) The Chief Inspector shall, on being satisfied that the prescribed fee has been deposited, register the shop or commercial establishment in the register maintained under section 4-A and shall issue a certificate of registration to the owner in such form and in such manner, as may be prescribed.

Term and renewal of registration certificate.

4-C. The registration certificate granted under section 4-B shall be valid for such period as may be prescribed, and shall on an application being made in that behalf and upon payment of the prescribed fees, be renewable from time to time by the Chief Inspector for such further period as may be prescribed.

Duplicate Registration certificate.

4-D. When a registration certificate is lost, destroyed or torn, or is defaced or otherwise becomes illegible, the Chief Inspector shall in the manner prescribed and on payment of the prescribed fee, issue a duplicate registration certificate."

Amendment of section 40.

4. In section 40 of the principal Act—

(i) in sub-section (1) *for* the words "may make rules" the words "may by notification make rules" shall be *substituted* ;

(ii) in sub-section (2) *after* clause (*b*) the following clauses shall be *inserted*, namely :—

"(*b*-1) the form of register of shops and commercial establishments under Chapter I-A ;

(*b*-2) the fees for registration, for renewal of registration certificate and for issue of duplicate registration certificate under Chapter I-A ;

(*b*-3) the form of registration certificate under Chapter I-A ; "

(iii) sub-section (4) shall be *omitted*.

Repeal and savings.

5. (1) The Uttar Pradesh Dookan Aur Vanijya Adhisthan (Sanshodhan) Adhyadesh, 1976 is hereby repealed. U.P. Ordinance no. 24 of 1976.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the principal Act, as amended by the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act, as amended by this Act.

. . . . . .

आज्ञा से,
कैलाश नाथ गोयल,
सचिव ।

पी०एल०यू०पी०-ए०पी० 717 राजपत्र (हिन्दी)-3797-1976-1427 (मैके०) ।

क्रम-संख्या–331 (क)

रजिस्टर्ड नं० ए० डी०-4

# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

## उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

## विधायी परिशिष्ट

भाग––1 खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शनिवार, 11 दिसम्बर, 1976

अग्रहायण 20, 1898 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका अनुभाग–1

संख्या 5247/सत्रह-वि0-1––159-76

लखनऊ, 11 दिसम्बर, 1976

अधिसूचना

विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (उपान्तर सहित पुनः अधिनियमन) विधेयक, 1976 पर दिनांक 10 दिसम्बर, 1976 ई0 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 55, 1976 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (उपान्तर सहित पुनः अधिनियमन) अधिनियम, 1976

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 55, 1976]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) अधिनियम, 1962 का कतिपय उपान्तरों सहित पुनः अधिनियमन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्ताईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :––

संक्षिप्त नाम

1––यह अधिनियम उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (उपान्तर सहित पुनः अधिनियमन) अधिनियम, 1976 कहा जायगा।

उपान्तर सहित उ0प्र0अधिनियम संख्या 22,1962 का पुनः अधिनियमन

2--उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) अधिनियम, 1962 को, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 3, 4 और 5 में दिये गये उपान्तरों सहित पुनः अधिनियमित किया जाता है।

दीर्घ शीर्षक का संशोधन

3--मूल अधिनियम के दीर्घ शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित दीर्घ शीर्षक रख दिया जायगा, अर्थात्:--

"उत्तर प्रदेश में हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्थाओं की सम्पत्ति के अपव्यय को रोकने और हस्तान्तरण को विनियमित करने की व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम"

प्रस्तावना का प्रतिस्थापन

4--मूल अधिनियम की प्रस्तावना के स्थान पर निम्नलिखित प्रस्तावना रख दी जायगी, अर्थात् :--

"यह समीचीन है कि उत्तर प्रदेश में हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्थाओं की सम्पत्ति के अपव्यय को रोकने और हस्तान्तरण को विनियमित करने की व्यवस्था की जाय"।

धारा 1 का संशोधन

5--मूल अधिनियम की धारा 1 में,--

(क) उपधारा (1) में, शब्द और कोष्ठक "(अस्थायी अधिकार)" निकाल दिये जावेंगे; और

(ख) उपधारा (3) निकाल दी जायगी।

---

No. 5247/XVII-V-1--159-76

*Dated Lucknow, December* 11, 1976

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Hindu Sarvajanik Dharmik Sanstha (Sampatti Apavyaya Niwaran) Upantar Sahit Punah-Adhiniyaman, Adhiniyam 1976 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya, 55 of 1976) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the President on December 10, 1976:

## THE UTTAR PRADESH HINDU PUBLIC RELIGIOUS INSTITUTIONS (PREVENTION OF DISSIPATION OF PROPERTIES) (RE-ENACTMENT WITH MODIFICATIONS) ACT, 1976

[U. P. Act no. 55 of 1976]

(*As passed by Uttar Pradesh Legislature*)

AN

ACT

*to re-enact with certain modifications the Uttar Pradesh Hindu Public Religious Institutions (Prevention of Dissipation of Properties) (Temporary Powers) Act,* 1962.

It is hereby enacted in the Twenty-seventh Year of the Republic of India as follows :—

Short title.

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Hindu Public Religious Institutions (Prevention of Dissipation of Properties) (Re-enactment with Modifications) Act, 1976.

Re-enactment of U. P. Act 22 of 1962 with modifications.

2. The Uttar Pradesh Hindu Public Religious Institutions (Prevention of Dissipation of Properties) (Temporary Powers) Act, 1962, hereinafter referred to as the principal Act, is hereby re-enacted with the modifications set out in sections 3, 4 and 5.

Amendment of long title.

3. *For* the long title of the principal Act, the following long title shall be *substituted,* namely :—

"An Act to provide for prevention of dissipation and regulation of transfer of the properties of Hindu Public Religious Institutions in Uttar Pradesh."

4. *For* the preamble of the principal Act, the following preamble shall be *substituted*, namely :— Substitution of the preamble.

"Whereas it is expedient to provide for prevention of dissipation and regulation of transfer of the properties of Hindu Public Religious Institutions in Uttar Pradesh."

5. In section 1 of the principal Act,— Amendment of section 1.

(*a*) in sub-section (1), the brackets and words "(Temporary Powers)" shall be *omitted*; and

(*b*) sub-section (3) shall be *omitted*.

आज्ञा से,
कैलाश नाथ गोयल,
सचिव।

पी0 एस0 यू0 पी0—ए0 पी0 391 सा0 (विधा0)—1976—650 (मै0)।